ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-3* Issue-3*April- 2018
Innovation The Research Concept

भारत के राजनीतिक दलः दशा एवं दिशा

सारांश

भारत के संविधान निर्माताओं ने संसदात्मक लोकतंत्र को अपनाया। संसदीय लोकतंत्र के इस ढांचे में चुनावो को एक पवित्र पर्व या त्यौहार के रूप में स्वीकार किया गया। जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन और प्रतिनिधियों द्वारा शासन के संचालन की सम्पूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए राजनीतिक दल अनिवार्य है। प्रस्तुत शोध पत्र भारतीय प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों की इस भूमिका से संबंधित है। एक तरफ इन दलों के बिना प्रतिनिधि प्रजातंत्र संभव नहीं है तो दूसरी तरफ इन दलों में उत्पन्न नकारात्मक प्रवृतियां प्रजातंत्र के अस्तित्व को ही खतरा पैदा कर रही है। शोध में राजनीतिक दलों की भूमिका एवं उत्पन्न नकारात्मक प्रवृतियों का मूल्यांकन कर समाधान के सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं।

मुख्य शब्द : प्रतिनिधि, लोकतंत्र, निर्वाचन, राजनीतिक दल

मन्जु लाडला
सह.आचार्य,
राजनीतिक विज्ञान विभाग,
राजकीय कला महाविद्यालय,
कटराथल, सीकर, राजस्थान

प्रस्तावना

भारत में लोकतंत्र की आरम्भिक अवस्था में एक दल की प्रधानता थी। लेकिन धीरे–धीरे विभिन्न चुनावों एवं असंगत राजनीतिक धुर्वीकरण ने अनेक राजनीतिक दलों को जन्म दिया। राजनीतिक अस्थिरता एवं क्षेत्रीयता के आधार पर नये–नये राजनीतिक दलों का निर्माण होने लगा और शासन में उनकी भागीदारी बढ़ने लगी। दलों की विविधता का ही परिणाम है कि भारत में केन्द्र तथा राज्य दोनो स्तरो पर गठबंधन सरकारे बनने लगी। इस प्रकार भारतीय दलीय व्यवस्था विविधता पर आधारित है। राष्ट्रीय दलों के साथ–साथ क्षेत्रीय दलों का भी तेजी से विकास हो रहा है।

''संसदीय जनतंत्र की स्थापना का उद्देश्य एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना था और सरकार को उत्तरदायी रखने का दायित्व राजनीतिक दलों का होता है।[1]'' राजनीतिक दल जनमत के निर्माण में नागरिकों का प्रशिक्षण देने तथा शासन के प्रति जागरूकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है। राजनीतिक दलों के बिना न तो सिद्वान्तों की संगठित अभिव्यक्ति हो सकती है और न ही नीतियों का व्यवस्थित विकास। राजनीतिक दल कार्यक्रम के आधार पर जनता की स्वीकृति प्राप्त कर शासन का संचालन करते है। विरोधी दल शासन करने वाले दल को मर्यादित करते हैं। ये संवैधानिक तरीके से सत्ता परिवर्तन के साधन होते है। नागरिको को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते है साथ ही उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भी रक्षा करते है। ये जनता और शासन के बीच मध्यस्थ की भूमिका अदा करते हैं। जैसा कि बार्कर ने कहां हैं कि ''राजनीतिक दल एक ऐसे पुल का काम करते हैं। जिसका एक छोर समाज को तथा दूसरा राज्य को छूता है।[2]'' ''राजनीतिक दल आधुनिकरण के उपकरण के रूप में भी समाज में सक्रिय रहते है। राजनीतिज्ञों के राजनीति में प्रवेश का एकमात्र संस्थागत साधन दल ही होते हैं।[3]'' ''इस तरह दल शासन को चलायमान, राजनीतिक प्रक्रिया को जोडने, सरल करने तथा स्थिर रखने का कार्य करते है।[4]'' राजनीतिक दल और लोकतंत्र के इस अनिवार्य धनिष्ठ सम्बन्ध की वजह से ही इन्हें लोकतंत्र की प्राणवायु, जीवनरेखा तथा शासन का चतुर्थ अंग कहा जाता है अर्थात् बिना राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि प्रजातंत्र जीवित नहीं रह सकता है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता को प्रतिपादित करना।
2. भारतीय राजनीतिक दलों की भूमिका का अध्ययन करना।
3. यह ज्ञात करना कि क्या भारत में राजनीतिक दल अपनी भूमिका को सही ढंग से निभा रहे है?
4. राजनीतिक दलों की भूमिका व संगठन में उत्पन्न विकृतियों को चिन्हित करना।
5. विकृतियों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन कर समाधान के उपाय खोजना।

उपकल्पनाये

1. प्रतिनिधि लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना संभव नहीं है।
2. राजनीतिक दलों की स्वस्थ भूमिका से ही लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल होगा।
3. भारतीय दलीय पद्वति में नकारात्मक प्रवृतियां तीव्र गति से पनपती जा रही है।
4. दलीय पद्वति में उत्पन्न नकारात्मक प्रवृतियों का समाधान लोकतंत्र की रक्षा हेतु अति आवश्यक है।

शोध प्रविधि

राजनीतिक दलों की स्थिति व भूमिका की समीक्षा के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों व कार्यकर्ताओं एवं आमजन से प्रत्यक्ष साक्षात्कार द्वारा, संसदीय कार्यवाही का सीधा प्रसारण तथा निर्वाचन के समय मतदान केन्द्रों का अवलोकन इत्यादि से प्राथमिक तथ्यों व जानकारी का संकलन किया गया है। द्वितीयक तथ्यों का संकलन राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र व कार्यालय रिकार्ड, निर्वाचन आयोग के प्रतिवेदन, विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं में सम्बन्धित प्रकाशित लेखो व अन्य मान्य साहित्य के माध्यम से किया गया है। प्राथमिक तथा द्वितीयक स्त्रोतो से प्राप्त तथ्यों व जानकारी के आधार पर ही मूल्यांकन कार्य किया गया है।

दलीय पद्वति में उत्पन्न नकारात्मक प्रवृतियां

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक स्वस्थ दलीय पद्वति का अभ्यूदय आज तक नहीं हुआ है। इनके संगठन, भूमिका तथा कार्य पद्वति में नकारात्मक प्रवृतियां/विकृतियां/बुराईयां परिलक्षित हो रही है। चुनावो की घोषणा के साथ ही सभी राजनीतिक दल अपना–अपना घोषणा पत्र जारी करते है। विभिन्न राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र का विश्लेषण करने पर प्रतीत हुआ कि घोषणा पत्र विभिन्न दलों द्वारा सत्ता प्राप्ति के लिए, एक कम्पनी का जिस प्रकार उपभोक्ताओं को लुभावने विज्ञापन के माध्यम से जैसे अपने उत्पाद बेचना ही उद्देश्य है, विज्ञापन की सच्चाई से नहीं, ठीक उसी प्रकार घोषणा पत्र महज एक विज्ञापन है, एक छलावा है। चुनावों में घोषणा पत्रों के माध्यम से लम्बे–चौडे वादे करने वाले दल सत्ता में आने पर उसका पन्ना पलटना ही भूल जाते है। किसी विचारधारा, दर्शन और प्रतिबद्वता को स्पष्ट समर्थन नहीं दिया जाता है। संकल्प गायब हो रहे है। सत्ता संस्कृति हावी हो रही है और चुनावी मुद्दों और दल से ज्यादा व्यक्ति विशेष को अहमियत दी जाती हैं। ''**घोषणा पत्र अर्थहीन होते है** इनमें या तो अर्थहीन बाते होती है अथवा स्वयं की क्षमताओं को न देखकर वायदे किये जाते है।[5]''

केन्द्र एवं राज्य स्तर पर **गठबंधन सरकार** का दौर जारी है, लेकिन इनके पीछे राजनीतिक स्थायित्व, देशहित, लोकहित, नैतिकता, आदर्श एवं मूल्य कही नजर नहीं आते है। गठबंधन के दल सत्ता में हिस्सेदारी के लिए दबाव की राजनीति अपनाते है। मतभेद, टकराव आदि को टालने के लिए उन्हें मंत्री पद, आयोग का अध्यक्ष या अन्य लाभकारी हिस्सेदारी दे दी जाती है। निहित स्वार्थो के बने रहने तक समर्थन दिया जाता है अन्यथा समर्थन वापस लेकर सरकार गिरा दी जाती है। भारतीय राजनीति त्रिकोणात्मक रूप लेने के साथ–साथ क्षेत्रीय **दलों द्वारा प्रभावित** की जा रही है। निर्दलीय व बागी सदस्य कभी सत्ता पक्ष तो कभी विपक्ष के साथ नजर आते है। ''सत्ता से बाहर रहकर समर्थन देने की घटिया राजनीति दल कर रहे है। सत्ता में शामिल होने का साहस नहीं करके पीछे से छुरा भौंकने का अधिकार अपने पास रखते है।[6]'' न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर भी परस्पर विरोधी एवं नकारात्मक रूख अपनाया जाता है।

प्रायः सभी दल विघटन एवं फूट के शिकार है। ''52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से दल–बदल को रोकने के लिए अनुच्छेद 102 और 191 में संशोधन और 10 वी अनुसूची का समावेश[7]'' एवं ''91 वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 केन्द्र एवं राज्यों में मंत्रीमंडल की संख्या सीमित करना[8]'' इत्यादि प्रावधानों के बावजूद भी **विभाजन एवं विलय के नाम पर दल–बदल की प्रवृति** जारी है। ''दल–बदल एक कैन्सर है जिसने राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देकर भारतीय दल व्यवस्था का मखौल उडाया है।[9]'' इस प्रवृति के कारण आज ''प्रमुख राजनीतिक दलों की स्थिति उस बंद गोभी की तरह हो गई है जिसके इतने पत्ते उतर चुके है, इतना क्षरण हो चुका है कि उनका आकार प्याज जैसा हो गया है अर्थात् वे दल अपना मूल स्वरूप खो चुके है।[10]''

जनप्रतिनिधियों के व्यवहार में गिरावट, संसद एवं विधानसभाओं का राजनीतिक दलों के अखाडे में तब्दील होना, भ्रष्टाचार के आरोप, प्रचारात्मक हथकण्डे, सांसदो व विधायको की खरीद फरोख्त आदि दृष्टान्त राजनीतिक दलों में सुचिता एवं शालीनता के अभाव को प्रकट करते है जो संसदीय शासन व्यवस्था पर कलंक है। दलीय राजनीति में आंतरिक गुटबंदी, अनैतिकता, अविश्वास और अनास्था जैसी प्रवृतियां घर करती प्रतीत हो रही है। परिपक्व चिंतन की अवहेलना हुई है। विचारधारा का प्रयोग स्लोगन के रूप में किया जाता है। अवसरवादिता की कोई बाउण्ड्री नहीं रही। धैर्य और धीरज को त्याग दिया गया है। धन और राज ही दलों के माई–बाप हो गये है। येन–केन प्रकारेण अपनी स्वार्थ–सिद्वि करना मूल ध्येय बन गया है। नैतिकता को ताक में रखकर एक–दूसरे पर कीचड उछालना आम बात है। झूठे, मनगढ़त आरोप तथा चरित्र हनन तक किया जाता है।

लोकतंत्र की दुहाई देने वाले इन राजनीतिक दलों में **आन्तरिक लोकतंत्र** मृगतृष्णा बन गया है। राजनीतिक दल न तो स्वस्थ लोकतांत्रिक चेतना पैदा कर पाये और न ही संस्थागत मूल्यों को विकसित कर पाये। केवल सत्ता की अंधी दौड में वे स्वयं टूटे बिखरे और विभाजित हुए। कुर्सी के लिए पार्टी का निर्माण एवं विघटन के कारण ही लार्ड ब्राइस ने इसे ''**संगठित पाखण्ड** (Organised Hypocracy) कहा है।[11]''

दलो में प्रखर, निर्मल व **स्वस्थ नेतृत्व** का अभाव है। दलो की पहचान व्यक्ति से होने लगी है। कार्यकर्ताओं की अपेक्षा से जन आधारित नेतृत्व उभर कर सामने नहीं आ पाता है। पार्टी अनुशासन के नाम पर आलाकमान की आवाज के साथ हॉ में हॉ (Yesmam) ठीक माना जा रहा है।

संसदीय और सांविधानिक मूल्य उपेक्षित होते जा रहे है। अपनी स्वार्थ सिद्वि के लिए ये दल संवैधानिक पदाधिकारियों एवं संस्थाओं तक का अनादर कर देते है। एक तरफ निर्वाचन में अपराधी या अपराध (आर्थिक अपराधों से जुड़े भी शामिल है) से जुड़े हुए व्यक्ति राजनीतिक दलों से जुडकर सफलता प्राप्त कर रहे है वहीं दूसरी तरफ राजनीति को व्यवसाय ही नहीं बल्कि **पारिवारिक व्यवसाय** भी बनाते जा रहे है। दल निर्माण के आसान तरीका होने से एक ओर दलों का विशाल स्कोर खडा हो रहा है वहीं जन समर्थन भी कई टुकड़ो में बंटा है।

''सत्ता पक्ष मदमस्त हाथी है तो विपक्ष उसका महावत अर्थात वह विपक्ष ही है जो सत्ता पक्ष को अपने पक्ष से विचलित होने से बचाता है लेकिन हमारे यहां ऐसे विपक्ष का अभाव ही रहा है। विपक्ष केवल विरोध के लिए विरोध करते रहता है। विपक्ष ने तो हल्ला, शोरगुल, अव्यवस्था तथा अराजकता को अपना हथियार बना लिया है।[12]'' विपक्ष सुनियोजित ढंग से संसद में शोरगुल, हंगामे व्यवधान करने तथा कार्यवाही नहीं चलने देने की राजनीति करता रहता है।

दलों की कथनी व करनी में गम्भीर अंतर है। आपसी सह–अस्तित्व की प्रवृति का अभाव है। इनमें निष्ठा नीति एवं कार्यक्रम के लम्बें मार्ग पर चलने का साहस व धैर्य नहीं है। इनकी मानसिकता शॉर्टकट अपनाने की है। अतः दल लोक लुभावन नारे, खेमेबाजी के खेल, करेप्सन, कास्टिज्म, व्यक्तिपूजा, राष्ट्रीय हितो की उपेक्षा, आत्मावलोकन का अभाव तथा वंशानुगत नेतृत्व इत्यादि से ग्रसित है।

समाधान

अतीत की भूलो से सबक लेते हुए राजनीतिक दलों में उत्पन्न विकृतियों के निम्नलिखित समाधान के विकल्प ढूंढे जा सकते है। जिससे भारत में सशक्त, व्यावहारिक, ईमानदारीपूर्ण, मर्यादित तथा विकसित राजनीतिक दलीय पद्वति के भविष्य का आह्वान किया जा सके।

1. राजनीतिक दलों एवं राजनीतिज्ञों के लिए सर्वमान्य आचार संहिता का निर्धारण होना चाहिये। जिससे उनमें विकसित हो रही मूल्यहीनता तथा कुप्रवृतियां को रोका जा सके। दलों के व्यवहार को मर्यादित करने के लिए न केवल आचार संहिता बने वरन, उसके सुनिश्चित पालन का भी निर्धारण हो ।
2. राजनीतिक दलों में आन्तरिक लोकतंत्र की भावना विकसित की जाये। दलों के कार्यकरण को पारदर्शी बनाया जाये।
3. घोषणा पत्र को वैधानिक मान्यता दी जाये। दल अपने–अपने घोषणा पत्र के प्रति जवाबदेय हो।
4. ''राजनीतिक दलों की मान्यता के नियमों में सशक्त बदलाव अपेक्षित है।'' मान्यता श्रेणीकृत करने के मापदंड और अधिक कठोर किये जाने चाहिये।[13]''
5. राजनीतिक दलों की संख्या सीमित की जाये। राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का कार्यक्षेत्र राष्ट्रीय स्तर तक सीमित हो। राज्य स्तरीय दलों का कार्यक्षेत्र प्रादेशिक राजनीति तक सीमित होना चाहिये। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व एवं कार्यक्षेत्र पंचायत स्तरीय राजनीति के लिए अधिकृत हो। दलीय व्यवस्था का त्रि–स्तरीय रूपान्तरण हो। दलों का ढांचा पिरामिडनुमा हो। यह दलीय ढांचा ही भारतीय दलीय व्यवस्था का परिमार्जित विकल्प हो सकता है। ऐसा होने पर पृथक राज्यों की मांग एवं क्षेत्रवाद से संबंधित अन्य मांगो के लिए संसद में होने वाले शोर–शराबे से मुक्ति मिलेगी।
6. जनता को नकारात्मक वोट देने का विकल्प हो। साथ ही नकारात्मक वोटो की गिनती करके उम्मीदवार के प्राप्तांक वोटो में से घटाया जावे।
7. चुनावी अपराधों की समयबद्व एवं त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाये।
8. दल बदल विरोधी कानून का कडाई से पालन किया जाये। निर्वाचित सदस्यों की योग्यता निर्धारित करने के लिए अलग से कानून बनाया जाये। दल–बदल व्यक्तिशः हो अथवा सामूहिक इसे गैर कानूनी मानते हुए सदस्य अथवा सदस्यो को सदन की सदस्यता से वंचित करने का प्रावधान किया जाना चाहिये। यही नहीं, जनमत के निर्णय का उल्लंघन करने के जुर्माने के रूप में, उस रिक्त स्थान को भरने हेतु उप चुनाव का समस्त खर्च भी सदस्य अथवा सदस्यों से वसूला जाना चाहिये। ऐसे ही प्रावधान बागी तथा निर्दलीय सदस्यों के लिए किये जा सकते हैं साथ ही दल–बदल करने वालों को 5 वर्ष तक किसी भी लाभ के पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।
9. गठबंधन सरकारो का चुनाव पूर्व एजेण्डा हो। उसके न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर सहमति हो ताकि सरकार के गठन के बाद विवाद पैदा नहीं होवे।
10. दल के वित्तीय प्रबंधन हेतु केवल उसी दल के सदस्य ही अंशदान करे। भामाशाहों अथवा अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों अथवा कम्पनियों द्वारा दिया जाने वाला चंदा दलो के स्थान पर राष्ट्रीय सुरक्षा कोष, राष्ट्रीय आपदा कोष अथवा प्रधानमंत्री कोष में जमा किया जा सकता है।
11. ''सरकारी नौकरी में नियुक्ति से पूर्व अभ्यर्थी की पुलिस रिपोर्ट प्राप्त की जाती है। घरेलू नौकर अथवा किरायेदार रखने के पूर्व भी पुलिस तहकीकात अनिवार्य है तो फिर सरकार में अथवा उसे निर्मित करने वाले किसी सदन में प्रवेश से पूर्व ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होना आश्चर्यजनक है। इसके लिए प्रत्येक राजनीतिक दल अपने ईमानदार, राष्ट्र समर्पित एवं स्वच्छ छवि वाले कर्मठ सौ सदस्यों का एक–एक पैनल घोषित (प्रकाशित) कर देवे तथा चुनाव के समय अथवा अन्य आवश्यकताओं पर इसी पैनल से एक के बाद एक नामों को प्रस्तुत करें।
इससे चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों का चयन सरल होगा। एक दूसरे को नीचा दिखाने, तथा दबाव बनाने वाली गुटबंदियो पर स्वतः रोक लगने से दलीय अनुशासन सुधरेगा। पैनल में सम्मिलित नामो की पुलिस छानबीन तथा जनता द्वारा जुटाई गई जानकारियों के मध्यनजर अपराधिक पृष्ठभूमि के

व्यक्ति अलग–थलग पड़ जायेगे तथा सदन को योग्य तथा राष्ट्र समर्पित प्रतिभाएँ उपलब्ध हो सकेगी।[14]''

12. राजनीतिक दल अपना आत्मावलोकन करे। अपने विचारो को पहचाने और मूल्यों का पालन करे। क्षणिक या तात्कालीक लाभ तथा सत्ता प्राप्ति के पीछे कंगारू दौड़ छोडकर समाज एवं राष्ट्रहित में कार्य करें। ''जब दल सत्ता में नहीं हो उन्हे जनहित में लिए रचनात्मक कार्यो से जोडे रखना चाहिए। मानवीय मूल्य व उच्च जीवन दर्शन की केवल बाते न करे बल्कि उसका उदाहरण प्रस्तुत करे।[15]''
13. जिस प्रकार प्रत्याशी की जमानत जब्ती को बचाने हेतु, उसे एक निश्चित संख्या में मत प्राप्त करना आवश्यक है। उसी प्रकार उसके विजय होने के लिए भी कुल मतदाताओं की संख्या के आधार पर एक निश्चित संख्या में मत प्राप्त करना आवश्यक है। इस वांछनीयता से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी भी मतदान प्रतिशत को अपने स्तर पर बढ़ाने का प्रयास करेगे और जनता का स्पष्ट जनादेश प्राप्त होगा।
14. ऐसा वातावरण निर्मित किया जाना चाहिये कि चुनावों के दौरान सभी मतदाता निर्भीकता से मतदान कर सके। साथ ही मतदाताओं को शिक्षित, अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक बनाना और राजनीतिक चेतना का संचार इत्यादि के लिए आवश्यक कदम उठाये जा सकते है।

निष्कर्ष

भारतीय राजनीति का कड़वा सच है कि दलीय व्यवस्था के क्षरण के लिए स्वयं राजनीतिक दल ही उत्तरदायी है। राजनीतिक दलों के साथ–साथ दलों के मुखिया भी उतने ही जिम्मेदार है क्योंकि वे राज्य और नीति के मूल्यों को भूल गये और अपने परिवार के लिए ही नहीं बल्कि सात पीढियों के लिए स्थायी सत्ता और सम्पत्ति निर्माण के लिए जुगत में जुट गये है। अतः राजनीतिक दलों में अपने आत्मावलोकन एवं सुधार की इच्छा शक्ति से ही भारत की राजनैतिक दलीय व्यवस्था में अर्न्तनिहित जटिलताओं/विकृतियों का निराकरण हो सकता है।

राजनीतिक दलो, दलो के नेता और कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त निर्वाचन आयोग, संसद (कानून), केन्द्र एवं राज्यों का राजनीतिक नेतृत्व, सीमा तक न्यायपालिका तथा बुद्दिजीवी वर्ग इत्यादि पक्षों को सुधार हेतु प्रबल इच्छा शक्ति का परिचय देना होगा। दलीय स्वरूप आदर्श, अनुशासित एवं सुसंगठित होगा तो देश का राजनीतिक स्वरूप परिपक्व, प्रज्ञावान होगा अन्यथा भारतीय लोकतंत्र की पवित्रता मलीन होगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *डॉ रजनी कोठारी भारत में राजनीति 1990, ऑरियेन्ट लागमैन, नई दिल्ली*
2. *बार्कर–रिफ्लेषन ऑन गवर्नमेंट*
3. *डॉ. नरेश दाधीच– भारत में शासन एवं लोकतंत्र*
4. *एलेन बाल– आधुनिक राजनीति और शासन, मैकमिलन*
5. *डॉ हरिश्चन्द्र शर्मा–भारत में राज्यों की राजनीति*
6. *आचार्य भालचन्द्र गोस्वामी–'प्रखर' संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका*
7. *52 वां संविधान संशेधन अधिनियम 1985, भारत सरकार नई दिल्ली*
8. *91 वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, भारत सरकार नई दिल्ली*
9. *डॉ उम्मेद सिंह इंदा– राजस्थान में स्वाधीनता संघर्ष, राज्य शासन एवं राजनीति*
10. *डॉ राजीव रंजन– चुनाव लोकसभा और राजनीति*
11. *लार्ड ब्राइस – मॉडर्न डेमोक्रेसीज भाग प्रथम 1921, मैकमिलन न्यूर्याक*
12. *डॉ बसन्ती लाल बावेल– संसदीय प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका*
13. *डॉ उम्मेद सिंह इंदा– भारतीय दलीय व्यवस्था में विचारधारा*
14. *डॉ महावीर प्रसाद जोशी –भारतीय दलीय व्यवस्था प्राथमिक उपचार के कुछ आयाम*
15. *डॉ जेठाराम प्रजावत– भारतीय दलीय व्यवस्था में विचारधारा*
16. *डॉ.बी.एल. फडिया – भारतीय शासन एवं राजनीति*
17. *डी.डी. वसु– भारत का संविधान*
18. *के. संस्थानम – राजनीतिक दल और भारतीय लोकतंत्र*
19. *डॉ लक्ष्मीमल सिंधवी– भारतीय राजनीतिक दल, समस्याएँ एवं संभावनाएँ*
20. *मॉरिस जोन्स– दि. गर्वनमेंट एण्ड पॉलिटिक्स इन इण्डिया*
21. *एस.एम. सहीद– भारतीय राजनीतिक प्रणाली*
22. *डॉ. सुभाष कश्यप– सांविधानिक विकास एवं स्वतंत्रता संघर्ष तथा भारतीय राजनीति और संसद*
23. *विभिन्न राजनीतिक दलो के घोषणा पत्र , अधिवेशन एवं प्रतिवेदन*
24. *संसदीय अधिनियम, भारत सरकार*
25. *दूरदर्शन पर संसदीय कार्यवाही का सीधा प्रसारण*
26. *दलो के नेता, कार्यकर्ताओं एवं नागरिको से प्रत्यक्ष बातचीत (साक्षात्कार)*
27. *निर्वाचन आयोग के प्रतिवेदन*
28. *निर्वाचन के समय मतदान केन्द्र का अवलोकन*
29. *इंडिया टुडे*
30. *प्रतियोगिता दर्पण*
31. *राजस्थान पत्रिका*
32. *दैनिक भास्कर, इत्यादि*